



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं० पटना 1002) पटना, मंगलवार, 14 दिसम्बर 2021

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2021

सं० यो0स्था01/8-विविध-1/2012/4360 यो0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ—
 - यह नियमावली “बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जायेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- “बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009” (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-(5) के उपनियम-(vi) के बाद एक नया उपनियम जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम-5 के उपनियम-(vi) के बाद एक नया उपनियम-(vii) निम्नवत जोड़ा जायेगा—

“(vii) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंको की अधिमानता 75 प्रतिशत एवं कार्य अनुभव की अधिमानता 25 प्रतिशत होगी। अंक का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा –

(क) सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार)	
में प्राप्त कुल अंको की अधिमानता	—75 अंक
(ख) कार्य अनुभव की अधिमानता	—25 अंक
(प्रत्येक पूर्ण कार्य वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)	

टिप्पणी :- (क) सैद्धांतिक परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अधिमानता के अंक का निर्धारण निम्नांकित सूत्र द्वारा किया जायेगा :-

$$\text{अधिमानता अंक} = \frac{\text{मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग} \times 75}{\text{मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के कुल अंको का योग}}$$

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बैधनाथ यादव,
सरकार के विशेष सचिव।

The 13th December 2021

No: Yo.Stha.01/8-vividh-1/2012/4360—In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby Pleased to make the following Rules to amend “**The Bihar Statistical Service Rules, 2009**” (as amended from time to time):-

1. Short title, Extent and Commencement -

(1) These rules may be called the "Bihar Statistical Services (Amendment) Rules, 2021".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official gazette.

2. Addition of a new sub-rule after sub-rule-(vi) of rule-(5) of the "Bihar Statistical Service Rules, 2009" (as amended from time to time) A new sub-rule - (vii) shall be added after sub-rule-(vi) of rule-5 of the said rules as following :-

“(vii) For Appointment to the post of District Statistical Officer/Assistant Director, the weightage of total marks obtained in Theory examination (Main examination) and Oral examination (Interview) will be 75% and Work experience will be 25% Marks will be Admissible as follows -

(a) Weightage of total marks obtained in theory examination (Main examination) and oral examination (Interview) -75 marks

(b) Preference of Work experience -25 marks

(05 marks for each completed working year, maximum 25 marks)

Note:- (a) The total weightage marks obtained in the Theory examination (Main examination) and Oral examination (Interview) will be determined by the following formula:-

Preference marks = $\frac{\text{Sum of marks obtained in Main examination and Interview} \times 75}{\text{Sum of total marks of main exam and interview}}$

By the order of Governor of Bihar,

Baidya Nath Yadav,

Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1002-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>